



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या - 43842 वर्ष 2025

शौकीनआवेदक(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद फैसल खान
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद फैसल खान तथा राज्य-विरोधी पक्ष के विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता श्री अजय सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह ज़मानत अर्जी, आवेदक शौकीन की ओर से इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि उसे, पुलिस थाना बारागाँव, ज़िला-सहारनपुर में पंजीकृत, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज 'केस क्राइम संख्या 79, वर्ष 2025' में, विचारण के लंबित रहने के दौरान ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के चलते इस मामले में झूठा फँसाया गया है। उसके आपराधिक इतिहास से संबंधित आठ मामलों के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है, और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में कोई दुष्प्रेरण अथवा सहायता की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। तत्पश्चात् यह निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 15.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता को देखते हुए, विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने आवेदक की ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताए गए मामलों के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए सबूतों पर विचार करने के बाद, और साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

अतः, वर्तमान ज़मानत अर्ज़ी **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक, शौकीन को, उपरोक्त केस अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक निजी मुचलका और दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष, निम्नलिखित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना, और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज कराना।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह सबूतों के लिए तय की गई तारीखों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष तय की गई प्रत्येक तारीख पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत अर्जी के निपटारे तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। निचली अदालत, इस आदेश में कही गई बातों से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

16 जनवरी, 2026

दीपक/

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव